न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3749–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 3–7–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–3 तहसील हुजूर प्रकरण क्रमांक 135/अ–12/13–14

स्पीड इन्फ्रास्टक्चर इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालक
श्री धीरेश निगम आत्मज स्व0 श्री सुन्दरलाल निगम,
आयु 52 वर्ष पता ए–5, यशोदा विहार,
चूनाभट्टी, भोपाल

.....आवेदक

विरूद्ध

श्री मेहरबान सिंह आत्मज श्री परसराम उईके,
आयु वयस्क, निवासी सेमरा,
जिला भोपाल म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 12 फरवरी, 2015)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल–3 तहसील हुजूर द्वारा पारित आदेश 3–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–3 तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम कालापानी,

तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक 528 व 538 रकबा 0.800 हैक्टेयर अर्थात 2 एकड़ भूमि के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 135/अ–12/13–14 दर्ज कर दिनांक 3–7–2014 को सीमाकंन सम्पन्न कर सीमाकंन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सीमाकंन की आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है और सूचना पत्र में फर्जी टीप अंकित कर कि आवेदक द्वारा सूचना पत्र लेने से इंकार किया गया, सूचना पत्र की तामीली मानकर सीमाकंन किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैधानिक कब्जा पाये जाने का उल्लेख सीमाकंन पंचनामा में किया गया है । यह भी कहा गया कि पूर्व में दो बार प्रश्नाधीन भूमि का सीमाकंन हो चुका है, अतः तीसरी बार सीमाकंन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सीमाकंन आदेश पारित करने में सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है ।

4/ अनावेदक को सूचना उपरान्त अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन हेतु सूचना पत्र आवेदक संस्था के संचालक धीरेश निगम एवं जहीर अख्तर को दिनांक 27–6–2014 को सीमाकंन दिनांक 3–7–2014 को किये जाने हेतु जारी किया गया है । सूचना पत्र में इस आशय की टीप अंकित है कि नरेश तोमर द्वारा धीरेश निगम जी को सूचना पत्र जारी किया, लेने से इंकार और पीछे चौकीदार लखन छोटा खेडा, जहीर अख्तर पुत्र फिरोजखान एवं मोबाईल नंबर का उल्लेख है । सूचना पत्र किस दिनांक को आवेदक धीरेश निगम पर तामील किया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं है, और न ही गवाहों के हस्ताक्षर है कि किन के समक्ष लेने से इंकार किया गया । सूचना पत्र भी

अल्प अवधि का जारी किया गया है । यह भी समझ से परे है कि सूचना पत्र राजस्व निरीक्षक द्वारा जारी करने के उपरांत नरेश तोमर द्वारा कैसे जारी किया गया । इसके अतिरिक्त नरेश तोमर के पद का कोई उल्लेख नहीं है कि वह राजस्व निरीक्षक कार्यालय का कर्मचारी है अथवा अन्य व्यक्ति । सूचना पत्र पर जहीर अख्तर के भी हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सूचना पत्र की तामीली धीरेश निगम एवं जहीर अख्तर पर विधिवत नहीं हुई है । सीमाकंन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमाकंन पंचनामा में इस आशय का उल्लेख है कि पंचगण पंचनामा सत्यापित करते है । इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मौके पर पंचगण उपस्थित थे अथवा नहीं, क्योंकि सीमाकंन पंचनामा में इस आशय का कोई उल्लेख नहीं है कि पंचगण की उपस्थिति में सीमाकंन किया गया है, केवल सत्यापित करने का उल्लेख है और न ही पंचगण के नाम का उल्लेख सीमाकंन पंचनामें में है । पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाना और उनकी उपस्थिति में सीमाकंन किया जाना भी सूचना पत्र एवं पंचनामें से परिलक्षित नहीं होता है । सीमाकंन पंचनामे से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि सीमाकंन स्थाई सीमा चिन्हों से किया गया है । सीमाकंन में अनावेदक की भूमि पर 0.42 हैक्टेयर पर धीरेश निगम, 0.10 हैक्टेयर पर जहीर खान का कब्जा एवं 0.05 हैक्टर पर गुमान सिंह का अवैध कब्जा होना पाया गया है, परन्तु जहीरखान एवं गुमानसिंह को न तो सूचना पत्र जारी किया गया है और न ही उनकी उपस्थिति में सीमाकंन किया गया है । क्योंकि सूचना पत्र में जहीर अख्तर को सूचना पत्र जारी किये जाने का उल्लेख है, जहीरखान को नहीं । सीमाकंन पंचनामें में उल्लेख किया गया है कि आवेदक की ओर से चौकीदार घनश्याम उपस्थित हुये और इसमें टीप अंकित है कि आवेदक की ओर से उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना किया । पंचनामें में किया गया उल्लेख एवं अंकित टीप में विरोधाभास है । कारण प्रथमतः चौकीदार घनश्याम आवेदक की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है । द्वितीय पंचनामें में चौकीदार घनश्याम के उपस्थित होने का उल्लेख है, जबकि टीप में आवेदक की ओर से उपस्थित लोगों ने हस्ताक्षर करने से मना किये जाने का उल्लेख है, और लोगों में एक से अधिक व्यक्ति आते है । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमाकंन प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि

राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमाकंन नहीं कर पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, इसलिये सीमाकंन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार विधिवत समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमाकंन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, मण्डल–3 तहसील हुजूर द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 3–7–2014 निरस्त किया जाता है और प्रकरण इस निर्देश के साथ राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमाकंन करें ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर